भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *572
06.04.2018 को उत्तर के लिए

ई-कचरे का आयात

***572. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों से देश में आ रहे ई-कचरा के खतरे से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में आयात किए गए ई-कचरे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

*****

'ई-कचरे का आयात' के संबंध में श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा दिनांक 06.04.2018 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *572 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) यदि देश में निपटान के लिए विदेश से ई-कचरा आयात किया जाता है, तो सरकार इससे होने वाले संभावित खतरे से अवगत है। तदनुसार, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार अपशिष्ट विद्युत तथा इलैक्ट्रोनिक संयोजनों (एसेम्बलीज) या कबाड़, जिसमें संचायक (एक्युमुलेटर्स), कुछेक प्रकार की खतरनाक बैट्रियां, मर्करी स्विच, कैथोड रे की ट्यूबों से प्राप्त कांच, कुछ एक्टीवेटिड कांच, पीसीबी केपेसिटर्स इत्यादि हों अथवा खतरनाक संलक्षणों से संदूषित, कैडमियम, पारा, सीसा, पोलिक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल जैसे खतरनाक

संघटक हों, के आयात को प्रतिषेधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन नियमों के अधीन, ऐसे विद्युत कचरे तथा इलैक्ट्रोनिक संयोजनों (एसेम्बलीज) या कबाड़ इत्यादि, जो इन नियमों के उपबंधों में प्रतिषेधित नहीं है, के आयात को भी विनियमित किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में निपटान किये जाने हेतु ई-कचरे के आयात की कोई अनुमति नहीं दी गई है।

******